राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प7(42)परि/नियम/मु./94/पार्ट IV/2006/40353 दिनांक: 2/8/17

कार्यालय आदेश 27 /2017

विभाग के संज्ञान में आया है कि राज्य में काफी बडी संख्या में ट्रेक्टर द्वारा संचालित ट्रोली का संचालन बिना पंजीयन करवाकर किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि कृषि प्रयोग हेतु पंजीकृत ट्रेक्टर ट्रोलीयों का उपयोग व्यावसायिक वाहनों के रूप में बिना कर जमा कराकर अवैध रूप से किया जा रहा है। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि ट्रेक्टर ट्रोलीयों के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करायी जावे, वंही यह भी देखा जाना चाहिये कि ट्रेक्टर ट्रोली से जुडे व्यक्तियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े तथा जो लोग नियमानुसार ट्रेक्टर ट्रोली का व्यवसायिक उपयोग करना चाहते है उन्हे अनआवश्यक असुविधा न हो। समय समय पर विभाग द्वारा अभियान चलाकर ट्रेक्टर ट्रोलीयों को पंजीकृत करने के प्रयास भी किये गये हैं परन्तु व्यावहारिक परेशानियों के कारण अधिकांश ट्रेक्टर ट्रोलीयों का पंजीयन सम्भव नहीं हो सका है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि इस संबंध में विभाग के स्तर पर समय–समय पर ट्रेक्टर ट्रोली के संबंध में पूर्व में जारी आदेशों को समाहित कर वर्तमान में ट्रेक्टर ट्रोली के पंजीयन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण हेतु आदेश जारी किये जावें। विभाग द्वारा ट्रेक्टर ट्रेलर के सम्बन्ध में समय–समय पर निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:–

1. विभाग द्वारा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के यान्त्रिक संकाय द्वारा की गई तकनीकि सिफारिशों के आधार पर पत्र क्रमांक प.7(42)परि/नियम/मु./टीटी/94, दिनांक 24.12.1997 को राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 7.45 मे प्रदत्त शक्तियों के तहत् आदेश जारी कर विभिन्न श्रेणी की ट्रेक्टर ट्रोली के डिजाईन अनुमोदित किये गये थे। इस आदेश में उक्त अनुमोदित डिजाईन को आधार मानते हुए तकनीकि स्पेशिफिकेशन के ट्रेलर्स की डिजाईन के मानक स्वरूपों में 10 प्रतिशत (+/-) की छूट देते हुए डिजाईन अनुमोदित किये गये थे तथा पंजीयन अधिकारियों को तदानुसार ऐसे वाहनों को पंजीयन करने हेतु निर्देशित किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

2. विभाग की जानकारी में यह लाया गया कि चैकिंग के दौरान बिना पंजीयन संचालन करते पकडे गये ट्रेलर पर इसे निर्मित करने वाले विनिर्माता द्वारा चैसिस क्रमांक अंकित नहीं करने के परीणाम स्वरूप ऐसे वाहन के स्वामियों द्वारा किसी अन्य पंजीकृत ट्रेलर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अभियोग का प्रशमन करा दिया जाता है एवं इस प्रकार मूल वाहन जिसके विरूद्ध अभियोग बनाया गया था बिना पंजीयन के पुनः संचालित होता रहता है। इस समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 27.08.

2013 को कार्यालय आदेश संख्या 26/2013 जारी किया गया एवं निर्देशित किया गया कि विनिर्माता द्वारा ट्रेलर के चैसिस फ्रेम पर विभाग द्वारा बतायी गयी रीति के अनुसार 17 अंक एवं अक्षरों का जिसमें राज्य कोड, जिला कोड, निर्माता का ट्रेड नम्बर, निर्माण माह एवं वर्ष के साथ चार अंकों में क्रम संख्या को अनिवार्य रूप से पंच किया जावे। यह भी निर्देशित किया गया था कि माह अक्टूबर, 2013 में राज्य स्तर पर अभियान के रूप में कैंप आयोजित कर जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.09.2013 तक विनिर्माता द्वारा विक्रय किये गये पंजीकृत अथवा अपंजीकृत ट्रेलर्स को चैसिस क्रमांक आवंटित किये जावें एवं 30.09.2013 के पश्चात् किसी भी ट्रेलर का पंजीयन बिना चैसिस क्रमांक के नहीं किया जावेगा। जारी आदेश की प्रति **परिशिष्ट 2** पर संलग्न है।

3. विभाग द्वारा दिनांक 23.03.2016 को कार्यालय आदेश संख्या 07/2016 जारी कर कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ पंजीकृत कृषि ट्रेक्टर व कृषि ट्रेलर का संयुक्त रूप से कृषि कार्य से भिन्न (वाणिज्यिक, व्यवसायिक) प्रयोजनार्थ अपंजीकृत ट्रेलर के पंजीयन हेतु विस्तृत कार्यालय आदेश जारी किया गया। इस आदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं इनके अधीन बने नियमों के तहत ऐसे वाहनों के पंजीयन, परमिट, फिटनेस, लाईसेंस, बीमा, कर एवं ग्रीन टेक्स के प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए दिशा निर्देश जारी किये गये ताकि ऐसे वाहनों के पंजीयन के संबंध में पंजीयन अधिकारियों में व्याप्त भ्रांति को दूर किया जा सके। कार्यालय आदेश की प्रति **परिशिष्ट 3** पर संलग्न है।

4. विभाग द्वारा दिनांक 31.03.2016 को कार्यालय आदेश संख्या 9/2016 जारी किया गया तथा यह निर्देशित किया गया कि 3.5 टन GVW के वाहनों पर केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का नियम 125–D लागू नहीं होगा। जारी आदेश की प्रति **परिशिष्ट–4** पर संलग्न है।

5. विभाग द्वारा दिनांक 26.10.2016 को कार्यालय आदेश संख्या 39/2016 जारी कर सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में ट्रेक्टर ट्रोली के पंजीयन हेतु कैंप आयोजित करने के निर्देश जारी किये गये थे तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि ऐसे व्यक्तियों को मौके पर ही पंजीयन, इस हेतु आवश्यक दस्तावेजों, देय कर एवं शुल्क की जानकारी दी जावे तथा ऐसे वाहनों का निरीक्षण फार्म नम्बर 20 पर मौके पर ही किया जावे, वंही इन वाहनों को निरीक्षण हेतु परिवहन कार्यालयों में नहीं मंगवाया जावे। कार्यालय आदेश की प्रति **परिशिष्ट–5** पर संलग्न है।

6. विभाग द्वारा दिनांक 02.01.2017 को कार्यालय आदेश संख्या 01/2017 जारी किया गया एवं इस आदेश द्वारा कृषि उपयोग हेतु पंजीकृत ट्रेलर में परिवहन किये जा रहे एग्रीकल्चरल मैटिरियल की व्याख्या भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में

दायर डीबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4449/2016 में दिये गये निर्देशों की पालना में जारी किया गया। कार्यालय आदेश की प्रति **परिशिष्ट 6** पर संलग्न है।

7. दिनांक 28.05.2017 को समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या 5 के अनुसरण में विभिन्न जिलों में आयोजित कैंपों में ट्रेक्टर ट्रलियों के पंजीयन में आ रही व्यावहारिक समस्याओं पर चर्चा की गई एवं चर्चा के दौरान इन समस्याओं के निवारण करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आ रही समस्याएं मूलतः निम्नानुसार हैः–

(1) वाहन स्वामी के पास निर्माता द्वारा निर्मित ट्रेक्टर ट्रोली के बिल की/फोर्म संख्या 22 में जारी किये जाने वाले सेल लेटर की अनुपलब्धता अथवा इन दोनो दस्तावेजों की अनुपलब्धता।

(2) जहां वाहन स्वामी द्वारा बिल प्रस्तुत कर दिया गया हो परन्तु वाहन का निर्माण ऐसे निर्माता द्वारा किया गया है जिसके पास विभाग द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था अथवा जारी किये गये ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता समाप्त हो चुकी है अथवा ट्रोली निर्माता द्वारा ट्रोली के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया है। उक्त कारणों से ट्रोली के वाहन स्वामी द्वारा निर्माता से फोर्म न. 22 जारी नहीं किया जा सका।

(3) जिन प्रकरणों में वाहन स्वामी को ट्रोली के निर्माता की जानकारी नही है, अथवा निर्माता द्वारा बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के ट्रेक्टर ट्रेलर का निर्माण किया गया है जिसके परिणामस्वरूप चैसिस फ्रेम पर चैसिस क्रमांक अंकित नहीं है।

8. अपंजीकृत ट्रेक्टर ट्रोलियों के पंजीयन के समय जिला परिवहन अधिकारियों के समक्ष निम्न संभावित परिस्थितियां आ सकती हैः–

(1) वाहन स्वामी द्वारा ट्रोली का बिल उपलब्ध करवाया गया है लेकिन फोर्म नम्बर 22 में निर्माता द्वारा जारी किये जाने वाला सेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(2) वाहन स्वामी द्वारा ट्रोली का बिल उपलब्ध नहीं करवाया गया है लेकिन फोर्म नम्बर 22 में निर्माता द्वारा जारी सेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

(3) वाहन स्वामी द्वारा न तो ट्रोली का बिल उपलब्ध करवाया गया है न ही फोर्म नम्बर 22 में निर्माता द्वारा जारी सेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) वाहन स्वामी द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली का निर्माण ऐसे निर्माता से करवाया गया है जिसके पास विभाग द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था अथवा ट्रेड सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नही करवाया गया अथवा ऐसे निर्माता द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया हो। ऐसी परिस्थिति में ट्रोली पर चैसिस का अनुक्रमांक किस प्रकार पंच किया जाये।

9. ऊपर वर्णित सभी परिस्थितियों में ट्रेक्टर ट्रोली के पंजीयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:–

(1) वाहन के पंजीयन से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये की वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत ट्रेक्टर ट्रोली के स्पेसिफिकेशन विभाग द्वारा दिनांक 24.12.1997 को जारी आदेश में वर्णित मापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। प्रस्तुत वाहन उक्त मापदण्डों के अनुरूप होने के पश्चात ही ऐसे वाहन का पंजीयन किया जाना है। उक्त मापदण्डो की पालना नहीं करने वाले वाहनों का पंजीयन नहीं किया जावे तथा वाहन स्वामी को अपने वाहन में उक्त स्पेशिफिकेशन के अनुसार वाहन को परिवर्तित कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावे।

(2) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (1) में वर्णित मापदण्डों की पालना करने वाले वाहन के स्वामी से उसके स्वामित्वाधीन ट्रेक्टर की पंजीयन पुस्तिका प्राप्त की जावे तत्पश्चात वाहन स्वामी द्वारा ट्रेक्टर ट्रेलर के पंजीयन के संबंध में अगर कोई दस्तावेज यथा ट्रोली का बिल, निर्माता द्वारा जारी फार्म संख्या 22 अथवा ऐसी ट्रोली पर पूर्व में राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन बने नियमों के तहत कोई कर जमा करवाया गया हो तो जमा करवाये गये कर की रसीद प्राप्त की जावे। वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जावे इस जांच के उपरान्त पंजीयन अधिकारी के समक्ष निम्न संभावित परिस्थितियां हो सकती है। ऐसी संभावित परिस्थितियों के निराकरण हेतु सभी पंजीयन अधिकारियों को ऐसे वाहनों को पंजीकृत करने की कार्यवाही हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

(i) <u>जहां वाहन स्वामी द्वारा केवल ट्रोली का बिल उपलब्ध करवाया गया है</u>
उक्त परिस्थिति में वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत ट्रेक्टर पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित वाहन स्वामी एवं बिल में वर्णित वाहन स्वामी के नाम, पिता का नाम/पती का नाम (अगर बिल पर अंकित है), बिल में दिये गये पते का मिलान किया जावे। मिलान करने पर उक्त प्रविष्टियां सही पायी जाती है तो ऐसा वाहन पंजीकृत करने योग्य होगा। जहां वाहन स्वामी के पते का मिलान नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में वाहन स्वामी से उसके पते के संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4 एवं इस कार्यालय के आदेश संख्या 29/2016 में वर्णित दस्तावेज प्राप्त किये जावें। वाहन स्वामी अगर उक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तथा इन दस्तावेजों के स्थान पर जमाबन्दी की प्रति जिसमें उसका नाम अंकित है प्रस्तुत करता है तो इसे भी वाहन स्वामी के पते के सत्यापन के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) <u>जहां वाहन स्वामी द्वारा केवल ट्रोली का फोर्म नंबर 22 उपलब्ध करवाया गया है</u>

उक्त परिस्थिति में ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (i) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जावे। इस प्रकरण में बिल के स्थान पर फोर्म नम्बर 22 में वर्णित प्रविष्टियों का मिलान वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत ट्रेक्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र से किया जावे। शेष प्रकिया यथावत रहेगी।

(iii) <u>जहां वाहन स्वामी द्वारा न तो ट्रोली का बिल एवं न ही फोर्म नंबर 22 प्रस्तुत किया गया है</u>

उक्त परिस्थिति में वाहन स्वामी से उसके ट्रेक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे। ट्रोली के संबंध में एक अण्डरटेकिंग ली जावे जिसमें उसके द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि उक्त ट्रोली का निर्माण उसके द्वारा किस निर्माता से करवाया गया था, यह निर्माण किस माह एवं वर्ष में करवाया गया था तथा उसके पास उक्त दोनो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है एवं उसके द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है। इस अण्डरटेकिंग का सत्यापान उस ग्राम पंचायत के जिसका वो निवासी है में रहने वाले दो वयस्क व्यक्तियों से भी करवाया जावे एवं इन व्यक्तियों का पूर्ण विवरण मय पते के वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग पर करवाया जावे। वंही ट्रोली के वाहन स्वामी से ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (i) में वर्णित निर्देशों के अनुसार वाहन स्वामी के पते के सत्यापन का दस्तावेज प्राप्त किया जावे। ऐसा वाहन भी पंजीकृत किये जाने योग्य होगा।

(iv) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (i) एवं बिन्दु संख्या (ii) के प्रकरणों में भी बिन्दु संख्या (iii) में उल्लेखित अण्डरटेकिंग प्राप्त की जानी है।

(v) वाहन स्वामी द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली का निर्माण ऐसे निर्माता से करवाया गया है जिसके पास विभाग द्वारा जारी ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था अथवा ट्रेड सर्टिफिकेट का नवीनीकरण नही करवाया गया अथवा ऐसे निर्माता द्वारा ट्रेक्टर ट्रोली के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया हो तथा निर्माता द्वारा वाहन स्वामी को सेल लेटर एवं फार्म नम्बर 22 जारी न किया गया हो तो ऐसी परिस्थिति में वाहन स्वामी से उक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं किये जाने है एवं इस संबंध में ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (iii) में वर्णित प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा पंजीयन अधिकारी द्वारा तदानुसार ऐसे वाहन का पंजीयन किया जावे।

(vi) ऊपर वर्णित प्रक्रिया की पालना के पश्चात वाहन स्वामी से कैम्प के दौरान मौके पर ही फोर्म नम्बर 20 भरवाया जावे एवं इस फोर्म पर ट्रेक्टर के चैसिस/इंजन का पैन्सिल प्रिंट लिया जावे तथा वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत ट्रेक्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित चैसिस/इंजन नम्बर का इससे मिलान किया जावे। दोनो के मिलान के पश्चात वाहन स्वामी को

ट्रेक्टर ट्रोली पर देय मोटर वाहन कर की जानकारी मय देय फीस, देय ग्रीन टैक्स के वाहन स्वामी को दी जावे। ट्रेक्टर ट्रोली की फिटनेस का फोर्म एवं इस बाबत निरीक्षण भी मौके पर ही किया जावे।

(vii) कुछ प्रकरण ऐसे भी आ सकते है जिनमें ट्रेक्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी हो। ऐसे ट्रेक्टर के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी मौके पर ही की जावे एवं इस हेतु निर्धारित फोर्म संख्या 25 भी मौके पर भरवाया जाकर वाहन का निरीक्षण भी मौके पर ही किया जावे।

(viii) वाहन स्वामी अगर मौके पर ही देय कर एवं अन्य देय फीस मौक पर ही देने का इच्छुक हो तो यह फीस मौके पर ही वसूली जावे एवं इस बाबत विभागीय रसीद भी वाहन स्वामी को जारी की जावे।

(ix) चूंकि ट्रेक्टर ट्रोली का पंजीयन वाहन साफ्टरवेयर में तब तक संभव नहीं है जब तक ट्रेक्टर ट्रोली के चैसिस फ्रेम को अलग से चैसिस क्रमांक आवंटित नही किया जाता है। इस संबंध में सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ट्रेक्टर ट्रोली के पंजीयन के संबंध में प्रत्येक ट्रोली को एक विशिष्ट नम्बर आवंटित करेंगे। इस आवंटित नम्बर में सर्वप्रथम इस ट्रोली के साथ संयोजित किये जाने वाले ट्रेक्टर को आवंटित पंजीयन अनुक्रमांक दिया जायेगा तत्पश्चात् इस पंजीयन अनुक्रमांक के बाद अंगेजी वर्णमाला के शब्द TT दिये जायेंगे।

उदाहरण– अगर किसी ट्रेक्टर का पंजीयन अनुक्रमांक RJ14RA0648 है तो ऐसे ट्रेक्टर के साथ संयोजित की जाने वाली ट्रोली को आवंटित किये जाने वाला चैसिस क्रमांक RJ14RA0648TT होगा तथा इस चैसिस क्रमांक को ट्रोली के चैसिस फ्रेम पर पैंट द्वारा मौके पर ही अथवा कार्यालय में ऐसे वाहन को पंजीकृत करते समय लिखवाया जायेगा।

(x) पंजीयन अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 61 की उपधारा (2) व (3) के प्रावधानानुसार ट्रेलर को आवंटित पंजीयन क्रमांक उसे खींचने वाले वाहन (ट्रेक्टर) के पार्श्व (Side) में लिखा जाना अनिवार्य है एवं इसी प्रकार वाहन को आवंटित पंजीयन क्रमांक, ट्रेलर पर लिखा जाना अनवार्य है।

(xi) कैम्प के दौरान अथवा ऊपर वर्णित परिस्थितियों कार्यालय में पंजीकृत की जाने वाली सभी ट्रेक्टर ट्रोली पर ऊपर वर्णित प्रक्रियानुसार चैसिस क्रमांक आवंटित किया जायेगा। ऐसी ट्रोली जिसका निर्माण ट्रेड सर्टिफिकेट धारी निर्माता द्वारा किया जा रहा है में चैसिस क्रमांक कार्यालय आदेश संख्या 26/2013 में वर्णित प्रक्रियानुसार ही जारी किये जायेंगे।

(xii) ऐसे वाहन स्वामी जिसके द्वारा ट्रेलर पर देय कर जमा करवा दिया गया है को राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 15 के तहत टोकन भी MTC-V में जारी की जावे।

(xiii) उक्त वाहनों के पंजीयन के समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पंजीकृत किया गया ट्रेलर एवं ट्रेक्टर का पंजीयन एक ही व्यक्ति के नाम होना आवश्यक है।

सभी पंजीयन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऊपर दिये गये निर्देशों की पालना में स्थानीय जन प्रतिनिधियों के सहयोग से सम्पूर्ण प्रदेश में ऐसे वाहनों के पंजीयन के लिए विशेष सघन अभियान दिनांक 16.08.2017 से 15.09.2017 तक आयोजित कर इन वाहनों के पंजीयन की कार्यवाही करेंगे। पंजीयन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट इस कार्यालय को दिनांक 25.09.2017 तक प्रेषित की जावेगी। इस अवधि के पश्चात भी समस्त जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा विभाग के दिनांक 26.10.2016 को जारी आदेश क्रमांक 39/2016 के तहत समय समय पर कैम्प आयोजित कर उनके क्षेत्राधिकार में चलने वाली सभी अपंजीकृत ट्रेक्टर ट्रोलियों का पंजीयन दिनांक 31.12.2017 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। वंही परिवहन कार्यालयों में ऐसे वाहन स्वामियों द्वारा ट्रोली के पंजीयन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निस्तारण इस आदेश में वर्णित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः प7(42)परि/नियम/मु./94/पार्ट IV/2006/40354 दिनांकः 2/8/17
40358

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

2/8/2017

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

परिशिष्ट - 1

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

क्रमांक प.7 (42) परि /नियम/मु./टी.टी./94 जयपुर दिनांक :- 24 . 12 . 97

कार्यालय आदेश

विषय :- कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले ट्रैक्टरो के साथ संचालित ट्रेलर्स (ट्रोलियों) के पंजीयन हेतु डिजाइन का अनुमोदन।

1. राजस्थान मोटर वाहन नियम,1990 के नियम ,7.45 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में , स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर्स (ट्रोलियों) की डिजाइन्स अनुमोदित किए जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा, कृषि कार्य के उपयोग में आने वाले ट्रेक्टरो के साथ संचालित ट्रेलर्स (ट्रोलियों) की डिजाइन्स की तकनीकी जॉच कराने हेतु, जयनारायण व्यास विश्वविधालय के तकनीकी संकाय को अधिकृत किया गया है।

उक्त संस्थान द्वारा, उपरोक्त ट्रेलर्स (ट्रोलियों) की डिजाइन्स के विषय में , की गयी सिफारिश के आधार पर, इन ट्रेलर्स की डिजाइन्स अनुमोदित की जाती है।

2. वर्तमान में, मुख्यालय स्तर पर यह अनुभव किया गया हैं कि स्थानीय निर्माताओं से, उनके द्वारा विनिर्मित ट्रेलर्स की डिजाइन्स के अनुमोदन के परिप्रेक्ष्य में , काफी असुविधा का सामना करना पडता है। अतः इस आशय का विचार किया गया है कि जयनारायण व्यास विश्वविधालय जोधपुर के यांत्रिक संकाय द्वारा की गयी तकनीकी सिफारिशों के आधार पर विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रेलर्स की डिजाइन्स को आधार मानकर, उनके मानक स्वरुप के अनुसार बनाये जाने वाले ट्रेलर्स की डिजाइन्स को विभागद्वारा अनुमोदित कर दिया जावे ताकि निर्धारित तकनीकी स्पेशीफिकेशन के अनुसार विनिर्मित ट्रेलर्स के पंजीयन हेतु नियमानुसार आवेदन किए जाने पर पंजीयन अधिकारी(मोटर वाहन) उनका पंजीयन कर दें।

3 सम्प्रति , जयनारायण व्यास विश्वविधालय के यांत्रिक संकाय द्वारा की गयी तकनीकी सिफारिशो के आधार पर अनुमोदित ट्रैलर्स की डिजाइन्स को आधार मानते हुए , ~~निम्नलिखित~~ संलग्न तकनीकी स्पेशीफिकेशन्स के ट्रेलर्स की डिजाइन्स के मानक स्वरुप (10 प्रतिशत +/-) का अनुमोदन किया जाता हैं। इन तकनीकी स्पेशीफिकेशन्स के अनुसार विनिर्मित ट्रेलर्स के पंजीयन हेतु नियमानुसार अनुमोदन किए जाने पर, पंजीयन अधिकारी(मोटर वाहन) द्वारा इनका पंजीयन किया जा सकेगा।

(ए.के.पाण्डे)

परिशिष्ठ - 1

क्रम सं	टिपिंग टाइप ट्रोलियों के तकनीकी स्पेशीफिकेशन्स	अधिकतम आयाम	न्यून्तम आयाम
1	कुल लम्बाई	4190 एम.एम.	3010 एम.एम
2	कुल चौं ड़ाई	1905 एम.एम.	1870 एम.एम.
3	ट्रोली की भूतल से ऊंचाई	1750 एम.एम.	1400 एम.एम.
4	बॉडी साईज (बाहरी)	3200 X 1905X 615 एम.एम.	3010 X 1870X 530 एम.एम.
5	बाडी साईज (आन्तरिक)	3100 X 1805X 535 एम.एम.	2910 X 1770X450 एम.एम.
6	बाडी का घनफल	0.3 एम^3	2.3 एम^3
7	ट्रोली का वजन (भार रहित)	1500 किग्रा. +/-10	1100 किग्रा. +/-10
8	ट्रोली का वजन (भार सहित)	4000 किग्रा. +/-50	4000 किग्रा. +/-50
9	भार क्षमता	2500 किग्रा. +/-50 किग्रा	2900 किग्रा. +/-50 किग्रा
10	धूरी साईज	75 X75X 1600 एम.एम.	75 X75X1600 एम.एम.
11	व्हील डिस्क	9.00X 20 रिंग टाईप	9.00X 16 रिंग टाईप
12	टॉयर साईज	9.00X 20	9.00X 16X16 प्लाई
13	फेजीकेशन	आर्कवेल्डिंग	आर्कवेल्डिंग
14	बेरिंग्स	32213 व 32216	32212 व 32214
15	मेनस्प्रिंग	12 लीव्ज	–
16	हेल्पर स्प्रिंग	6 लीव्ज	–
17	हाइड्रोलिक जेक	3+3 टन	5 टन

क्रम सं.	नान टिपिंग टाइप ट्रोलियों के तकनीकी स्पेशीफिकेशन्स	अधिकतम आयाम	न्यूनतम आयाम
1	कुल लम्बाई	4260 एम.एम.	2475 एम.एम
2	कुल चौडाई	1905 एम.एम.	1360 एम.एम.
3	ट्रोली की भूतल से ऊंचाई	1700 एम.एम.	1120 एम.एम.
4	बॉडी साईज (बाहरी)	3200 X 1905X 685 एम.एम.	1825X 1170 एम.एम.
5	बाडी साईज (आन्तरिक)	3100 X 1805X 610 एम.एम.	1820X1165 एम.एम.
6	बाडी का घनफल	3.40 एम ^{3}	0.714 एम ^{3}
7	ट्रोली का वजन (भार रहित)	1400 किग्रा. +/-10किग्रा	280 किग्रा. +/-5 किग्रा
8	ट्रोली का वजन (भार सहित)	4000 किग्रा. + 50किग्रा	680 किग्रा. +25 किग्रा
9	भार क्षमता	2600 किग्रा. + 50किग्रा	400 किग्रा.
10	धूरी साईज	75 X75X 1600 एम.एम.	50 X 50 एम.एम.
11	व्हील डिस्क	9.00X 20 रिंग टाईप	–
12	टॉयर साईज	9.00X 20/10.00X 20	6.00X16
13	फेब्रीकेशन	आर्कवेल्डिंग	वाई आर्कवेल्डिंग
14	बेरिंग्स	32213 व 32216	न. 501349
15	मेनस्प्रिंग	12 लीव्ज	–
16	हेल्पर स्प्रिंग	6 लीव्ज	–
17	हाइड्रोलिक जेक	–	–

नोट :– ट्रोली के पीछे दोनों सिरों पर 8 से.मी. चौडी ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) चमकीले लाल रंग की (रीट्रोरिफलेक्टिव) पटटी लगानी होंगी।

परिशिष्ट - 2

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ 7(41) परि/नियम/मु/98 3-185

जयपुर, दिनांक 27/08/13

कार्यालय आदेश 26/2013

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 39 के प्रावधानानुसार किसी भी वाहन का बिना पंजीयन सार्वजनिक या किसी अन्य स्थल पर उपयोग वर्जित किया गया है। लेकिन जानकारी में आया है कि राज्य में स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर्स काफी संख्या में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे हैं।

यह भी जानकारी में लाया गया है कि चैकिंग के दौरान बिना पंजीयन संचालन करते पकडे गए, स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा, कृषि कार्य में उपयोग हेतु निर्मित ट्रेलर्स के स्थान पर, चैसिस क्रमांक अंकित न होने के कारण, किसी अन्य पंजीकृत ट्रेलर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अभियोग संधान करा दिया जाता है एवं इस प्रकार मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना कर अपंजीकृत ट्रेलर पुनः संचालित होते रहते हैं।

अतः केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 122 की पालना सुनिश्चित किये जाने एवं समस्त ट्रेलर्स के पंजीकृत किये जाने के क्रम में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं :-

(1) स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर्स की पहचान हेतु ट्रेलर्स के चैसिस फ्रेम पर चैसिस क्रमांक अनिवार्य रूप से पंच किए जावे। उक्त क्रमांक फ्रेम के दायें भाग पर लम्बाई व ऊंचाई के मध्य में अंकित किये जायेंगे।

(2) उक्त निर्माताओं को उनके क्षेत्राधिकार वाले पंजीयन अधिकारियों द्वारा चैसिस क्रमांक की सीरीज आवंटित की जावेगी जिससे कि चैसिस क्रमांक में समानता बनी रहे एवं दो ट्रेलर्स पर एक समान क्रमांक पंच ना हो।

(3) चैसिस क्रमांक कुल 17 अंक एवं अक्षरों का संयोजन होगा जिसमें राज्य कोड, जिला कोड, निर्माता का ट्रेड नम्बर, निर्माण माह एवं वर्ष के साथ चार अंकों में क्रम संख्या का संयोजन ट्रेलर का चैसिस क्रमांक होगा।

उदाहरण - RJ14TC34108110648

इसमें	RJ	–	राज्य कोड
	14	–	जिला कोड
	TC341	–	ट्रेड संख्या (TC 001 to 999)
	08	–	निर्माण माह (01 से 12)
	11	–	निर्माण वर्ष (वर्ष के अंतिम दो अंक)
	0648	–	क्रम संख्या (0001 – 9999) होंगे।

(4) राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 41 के उप नियम (2) के प्रावधानानुसार ट्रेड सर्टिफिकेट धारक वाहन विक्रेता को उनके द्वारा विक्रय किए गए गैर परिवहन पंजीयन हेतु अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में प्राधिकार पत्र जारी किए जा सकते हैं। उक्त प्रावधानानुसार समस्त कृषि उपयोगी ट्रेलर्स के ट्रेड धारी डीलर्स को अनिवार्य रूप से अधिकार पत्र जारी किए जावे एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 47 के प्रावधान "Delivery of motor vehicle subject to registration" की पालना में अपंजीकृत वाहन की डिलीवरी न किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या (3) एवं (4) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार राज्य में कृषि उपयोगी ट्रेलर्स के समस्त निर्माताओं को चैसिस क्रमांक आवंटन एवं अधिकृत पंजीयन अधिकारी के रूप में अधिकृत करने का कार्य आवश्यक रूप से 30.09.2013 तक पूर्ण कर लिया जावे। उक्त दिनांक के बाद निर्मित कृषि उपयोगी ट्रेलर्स का पंजीयन बिना चैसिस क्रमांक के नहीं किया जावेगा एवं पंजीयन, अधिकृत पंजीयन अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा।

DSk/Rules/Letter hindi letter

(6) उक्त दिनांक 30.09.2013 तक विक्रय किये गये, पंजीकृत अथवा अपंजीकृत ट्रेलर्स को चैसिस क्रमांक आवंटन एवं पंजीयन का कार्य माह अक्टूबर 2013 में अभियान के रूप में कैम्प आयोजित कर जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया जावेगा।

(7) मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 61 की उप–धारा (2) व (3) के प्रावधानानुसार ट्रेलर को आवंटित पंजीयन क्रमांक, उसे खींचने वाले वाहन (ट्रेक्टर) के पार्श्व (Side) में लिखा जाना अनिवार्य है एवं इसी प्रकार वाहन को आवंटित पंजीयन क्रमांक, ट्रेलर पर लिखा जाना अनिवार्य है। अतः उक्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

आदेशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

परिवहन आयुक्त

क्रमांक : प 7 (41) परि / नियम / मु / 98 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय परिवहन एवं गृह राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव (परिवहन)।
3. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी _____।
6. समस्त प्रभारी कर संग्रह केन्द्र _____।
7. रक्षित पत्रावली।

26/9
उपायुक्त (नियम)

परिशिष्ट - 3

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7(42) परि/नियम/मु./SP.1

जयपुर, दिनांकः 23.03.2016

कार्यालय आदेश 07/2016

विगत समय में यह संज्ञान में लाया गया है कि कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ पंजीकृत कृषि ट्रैक्टर व कृषि ट्रेलर का संयुक्त रूप से कृषि कार्य से भिन्न (वाणिज्यिक, व्यावसायिक) प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। साथ ही निर्माण सामग्री परिवहन अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अपंजीकृत ट्रेलर का भी उपयोग किया जा रहा है।

इसी संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिव्यू पीटिशन सं. 264/2015 में दिनांक 01.03.2016 को पारित निर्णय में भी इस विषय को गंभीरता से लिया जाकर कृषि प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) के व्यावसायिक प्रयोजन पर रोक लगाने एवं नियम विरूद्ध संचालन पर पंजीयन निरस्त किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त सभी तथ्यों के दृष्टिगत ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) के पंजीयन हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैं:–

1. **पंजीयन :–**

क. ट्रैक्टरः– ट्रैक्टर का पंजीयन पूर्व की भांति गैर परिवहन यान की श्रेणी में एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर के रूप में किया जायेगा एवं ट्रैक्टर को पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 के अनुसार आवंटित पंजीयन सीरीज में से ही पंजीयन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे।

ख. ट्रॉलीः–

(i) वर्तमान में अपंजीकृत ट्रेलर (ट्रॉली) का पंजीयन नियमानुसार आवश्यक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही किया जावें।

(ii) वर्तमान में पंजीकृत कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) का वाहन स्वामी यदि कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) को व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग करने का इच्छुक है तो, जिस प्रकार हल्का मोटर यान श्रेणी में गैर–परिवहन से परिवहन श्रेणी में श्रेणी परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, ही अपनाई जावेगी। अर्थात् प्रारूप 27 में श्रेणी परिवर्तन का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(iii) व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पंजीकृत होने वाली ट्रेलर (ट्रॉली) के लिए **EV, EW,EX,EY,EZ** सीरीज आरक्षित की जाती है। इसी सीरीज में क्रमशः पंजीयन क्रमांक किए जावे। परन्तु कृषि ट्रेलर (ट्रॉली) को पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 02/2015 के अनुसार आवंटित पंजीयन सीरीज में से ही पंजीयन क्रमांक आवंटित किये जायेंगे।

..2

(iv) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) पंजीयन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क राशि देय होगी।

(v) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के पंजीयन के समय ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक बताना होगा। MV Act 1988 की धारा 61 (4) व CMVR 1989 के नियम 50 (2)(d) के अन्तर्गत विहित रीति से ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक ट्रेलर (ट्रॉली) पर प्रदर्शित करना होगा।

(vi) स्थानीय विनिर्माताओं द्वारा निर्मित ट्रेलर्स की पहचान हेतु ट्रेलर्स के चैसिस फ्रेम पर चैसिस क्रमांक पंच किये जाने के संबंध में जारी विभागीय कार्यालय आदेश सं. 26/2013 दिनांक 27.08.2013 की पालना करते हुये आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(vii) पूर्व में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के यांत्रिक संकाय द्वारा की गई तकनीकी सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ निर्मित ट्रेलर्स की डिजाईन (जिसका अनुमोदन कार्यालय आदेश क्रमांक प.7(42) परि./नियम/मु./टी.टी./94/दिनांक 24.12.1997 द्वारा किया गया है।) में वर्णित तकनीकी स्पेशीफिकेशन व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के निर्माण की डिजाईन में भी लागू होगी।

01 अप्रैल, 2016 पश्चात् केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125D की अपेक्षानुसार नियम 126 में वर्णित जांच संस्थाओं से डिजाईन अनुमोदन के पश्चात् ही पंजीकृत किया जायेगा।

2. **परमिट** :– ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) हेतु मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 66 (3)(i) के प्रावधानानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

3. **फिटनेस** :– मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 56 के प्रावधानानुसार व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) को प्रत्येक वर्ष उपयुक्तता प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। फिटनेस जांच व प्रमाण पत्र हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1988 के नियम, 81 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क देय होगा।

4. **लाईसेंस** :– ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) हल्का मोटर यान श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं अतः वाणिज्यिक ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) चालकों को हल्का मोटर यान श्रेणी का लाईसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। ट्रैक्टर/ट्रेलर (ट्रॉली) ट्रॉली संयुक्त रूप से परिवहन यान होने के फलस्वरूप चालकों को राजस्थान मोटर यान नियम 1990, के नियम 2.2 के प्रावधानानुसार परिवहन प्राधिकार भी प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही लाईसेंस हेतु केन्द्रीय मोटर यान 1989 के नियम 32 में हल्का मोटर यान श्रेणी हेतु विहित शुल्क राशि देय होगी।

5. **बीमा** :– ट्रैक्टर एवं ट्रेलर (ट्रॉली) व्यवसायिक/गैर व्यवसायिक को बीमा कराना एवं समय–समय पर उसका नवीनीकरण करवाना अनिवार्य होगा।

6. **कर** :– व्यावसायिक/वाणिज्यिक उपयोग के प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रेलर (ट्रॉली) से विभागीय अधिसूचना एफ 6 (179) परि/टैक्स/मु./95/22सी दिनांक 14.07.2014 (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा विहित ट्रैक्टर की कीमत का एक प्रतिशत एक मुश्त कर संदाय होगा एवं विभागीय अधिसूचना एफ 6 (179) परि/टैक्स/मु./09/26 दिनांक 09.03.2011 द्वारा निर्धारित अधिभार एक मुश्त कुल देय कर का दस प्रतिशत देय होगा।

7. **ग्रीन–टैक्स** :–

(i) कृषि ट्रैक्टर एवं ट्रेलर (ट्रॉली) के लिये ग्रीन टैक्स अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के द्वारा निम्नानुसार देय होगा :–

1. प्रथम पंजीयन एवं पंजीयन नवीनीकरण के लिए :– 1000 रू.

(ii) व्यवसायिक ट्रेलर (ट्रॉली) के लिये ग्रीन टैक्स अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के अनुसार निम्नानुसार देय होगा

1. यदि यान की आयु उसके प्रथम पंजीयन की तारीख से 6 वर्ष या कम है :– 1000 रू.
2. यदि यान की आयु उसके प्रथम पंजीयन की तारीख से 6 वर्ष से अधिक है :– 1500 रू.

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्रमांकः प.7(42) परि/नियम/मु./ जयपुर, दिनांकः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

परिशिष्ट-4

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.7 (57)परि/नियम/मु./2014/6689 जयपुर, दिनांकः– 31.03.2016

कार्यालय आदेश 9/2016

दिनांक 01.04.2016 से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 125–D प्रभावी हो गया है यह नियम दिनांक 08.06.2014 को अस्तित्व में आ गया था। इस नियम की अपेक्षा अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 2(RA) Category "T" के रूप में परिभाषित ऐसे वाहन जो कि ऐसे भार वाहनों से खीचे जाने के प्रयोग में लाये जाये जिनका GVW 3.5 टन से अधिक हो, को अब डिजाइन अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 के अन्तर्गत विन्द्रिष्ट टैस्टिंग ऐजेन्सीस से टाईप अप्रुवल प्राप्त करना होगा।

वर्तमान में articulated vehicle के प्रयोग में लाये जा रहे सेमी ट्रैलर एवं agricultural ट्रेक्टर के द्वारा खीचे जाने वाले ट्रैलर (ट्रौली) का डिजाइन का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा अनुमोदन किया जा रहा था। निष्कर्ष स्वरूप निर्देश है कि agricultural ट्रेक्टर द्वारा खीचें जाने वाले ट्रैलर (ट्रौली) के डिजाइन के आधार पर विर्निमाण पूर्व की भांति जारी रहेगा परन्तु पूर्व के सेमी ट्रैलर आदि का डिजाइन का अनुमोदन राज्यों में मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जा रहा था अब मान्य नहीं होगा। दिनांक 01.04.2016 से पूर्व विर्निमित सेमी ट्रैलर का articulated vehicle के साथ पंजीयन पूर्व की भांति जारी रहेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्यालय द्वारा जारी आदेश 7/दिनांक 23.03.2016 के अन्तर्गत पंजीयन की जाने वाली ट्रौलियों पर यह नियम 125–D लागू नहीं होगा।

अतः उपरोक्त प्रकार के सेमी ट्रैलर और ट्रैलर जिनका विर्निमाण 01.04.2016 अथवा उसके बाद किया गया हो को अन्य वाहनों की तरह टाईप अप्रुवल सर्टीफिकेट प्राप्त करने के आधार पर मुख्यालय द्वारा जारी पंजीयन के निर्देश के बिना नहीं किया जावे।

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.7 (57)परि/नियम/मु./2014/6690–6695 जयपुर, दिनांकः– 31.3.2016.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य परिवहन मंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. समस्त प्रादेशिक/अति./जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल राज)
अपर परिवहन आयुक्त(नियम)

परिशिष्ट-5

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7 (42)परि/नियम/मु./94/पार्ट-III/22990 जयपुर,दिनांक:- 26/10/16

कार्यालय आदेश...39../2016

विभाग द्वारा ट्रेक्टर--ट्रॉली (कृषि/वाणिज्यिक) के पंजीयन, फिटनेस, परमिट,लाईसेंस आदि के संबंध में कार्यालय आदेश 07/2015 दिनांक 23.03.2016 जारी विस्तृत दिशा--निर्देश प्रदान किये गये थे। यह संज्ञान में लाया गया है कि ट्रेक्टर-ट्रॉली के पंजीयन में संबंधित व्यक्तियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विशेष कैम्प लगवाये जाने हेतु विभाग को लिख गया है। अतः जनहित को दृष्टिगत् रखते हुये ट्रेक्टर-ट्रॉली (कृषि/वाणिज्यिक) के पंजीयन हेतु विशेष कैम्प लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं इस संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है:--

1. इस कैम्प में ट्रेक्टर व ट्रॉली का भौतिक सत्यापन किया जावे एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप 20 पर ट्रेक्टर व ट्रॉली दोनों के ही चैसिस क्रमांक का इम्प्रैशन लिया जावें।
2. इस कैम्प में ट्रेक्टर व ट्रॉली स्वामी को पंजीयन व अन्य प्रक्रिया यथा आवश्यक दस्तावेजों, कर, शुल्क आदि के संबंध में मार्गदर्शन दिया जावे एवं यदि आवेदन में कोई कमी/आक्षेप हो तो उसके संबंध में वाहन स्वामी को अवगत करवाया जावें।
3. इसके उपरान्त् वाहन स्वामी को समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु समय दिया जावे।
4. कार्यालय में निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने पर नियमानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण होने पर वाहन का पंजीयन व संबंद्ध अन्य कार्य किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
क्रमांकः प.7 (42)परि/नियम/मु./94/पार्ट–III/22991-995 जयपुर,दिनांकः– 26/10/1

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

26/10

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

परिशिष्ट-6

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7(42) परि/नियम/मु./94/पार्ट–IV/2006/26605 जयपुर, दिनांक: 02/01/17

कार्यालय आदेश 01/2017

विभाग द्वारा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर व जिला परिवहन अधिकारी, हनुमानगढ़ को पत्रांक एफ 7(42) परि/नियम/मु.94/पार्ट–IV/7567 दिनांक 19.04.2016 के जरिये ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन में उपयोग को स्पष्ट किया गया था। पत्र दिनांक 19.04.2016 का चतुर्थ पैरा निम्नानुसार है:–

"केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 2(b) एवं 2(c) में agricultural ट्रेक्टर व agricultural ट्रेलर को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार agricultural ट्रेक्टर–ट्रॉली द्वारा जब तक agricultural material का लदान करते हुये परिवहन किया जाता है तब तक उनको गैर परिवहन यान ही माना जावेगा। जिनको व्यावसायिक रूप में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में इन वाहनों द्वारा गेहूं के परिवहन में उपयोग में लिया जाना है। निःसंदेह ही गेहूं agricultural material है। अतः इन वाहनों का इस प्रयोजन हेतु प्रयोग पूर्णतः नियम संगत है जब तक की इन वाहनों द्वारा agricultural material से भिन्न माल का परिवहन नहीं किया जा रहा हो अर्थात् कृषि प्रयोजनार्थ पंजीकृत ट्रेक्टर–ट्रॉली वाहनों द्वारा गेहूं अथवा अन्य कृषि खाद्यान्न के परिवहन करने को व्यावसायिक उपयोग नहीं माना जायेगा एवं इनके व्यावसायिक वाहन के रूप में पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। अतः शिथिलन का प्रश्न ही शेष नहीं रह जाता है।"

विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 से व्यथित होकर प्रभावित व्यक्तियों द्वारा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4449/2016 सुभाष सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित निर्णय में विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 में ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन हेतु दिये गये स्पष्टीकरण के विपरीत ट्रेक्टर–ट्रॉली के कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन की व्याख्या की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2016 का प्रभावी भाग निम्नानुसार है:--

"In general, the "agricultural material" means the material which is to be used for agricultural purposes, such as seeds, fertilizers, agricultural equipments, pesticides etc. It may also include agricultural produce if a farmer carries it to market. However, after its sale to a trader or agent or any other body that does not remain agricultural produce, but a material which is to be used for a purpose or object different than agriculture. So far as the wheat is concerned, it remains agricultural produce till its sale by its producer to a trader or agent or anybody, but subsequent thereto it becomes a food produce or food material."

अर्थात् ट्रेक्टर–ट्रॉली का कृषि व व्यावसायिक प्रयोजन निम्नानुसार है:–

1. ऐसे उत्पाद जिनका उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ यथा बीज, खाद, कृषि यंत्र इत्यादि तथा किसान द्वारा कृषि के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद जो कि विक्रय हेतु बाजार (कृषि मंडी/क्रय केन्द्र/खाद्य निगम के गोदाम) तक लाये जाते है, को कृषि उत्पाद माना जायेगा। इस प्रकार के उत्पादों का परिवहन गैर परिवहन श्रेणी के ट्रेक्टर–ट्रॉली के द्वारा किया जा सकेगा।
2. किसान द्वारा कृषि उत्पाद को किसी संस्था/व्यापारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय किये जाने पश्चात् ऐसे उत्पाद को खाद्य उत्पादन अथवा खाद्य सामग्री माना जायेगा। अर्थात् इस प्रकार किये जाने विक्रय के पश्चात् ऐसी सामग्री के परिवहन को वाणिज्यिक/व्यावसायिक श्रेणी का परिवहन माना जायेगा व इसका परिवहन वाणिज्यिक/व्यावसायिक श्रेणी में पंजीकृत ट्रेक्टर–ट्रॉली के माध्यम से ही किया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) संख्या 4449/2016 सुभाष सिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 19.04.2016 में की गई व्याख्या के विपरीत होने के फलस्वरूप पत्र दिनांक 19.04.2016 को प्रत्याहूत (Withdraw) किया जाता है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (प्रति संलग्न) के अनुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : एफ 7(42) परि/नियम/मु./94/पार्ट–IV/2006/26609-26615 जयपुर, दिनांक: 02/01/17.

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
5. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

29/12

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)